राजस्व वाद 61/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00118
प्रेमाराम बनाम् रामेश्वरलाल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 61/2020

वादीगण–

1. प्रेमाराम पुत्र पोकरराम
   जाति–जाट,निवासीगण–कमेड़िया,तहसील–जायल,जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामेश्वरलाल पुत्र पोकरराम
   जाति–जाट, निवासीगण–कमेड़िया, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कैम्प कमेड़िया में राजीनामा प्रस्तुत।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 51,90 में सहखातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा एवं वाद पत्र अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी प्रेमाराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 90 रकवा 4.0145 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वरलाल के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 51 रकवा 4.7591 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner